न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला सांचौर

(पीठासीन अधिकारी हनुमानाराम आर.ए.एस.)

मुकदमा नंम्बरः— 19 / 2021

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थी
परमेश्वरी देवी पत्नी मालाराम जाति विश्नोई निवासी डी.एस. ढाणी तहसील चितलवाना जिला सांचौर		सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चितलवाना

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए, आर.टी. आर. एक्ट 1955</u>

उपस्थितः:—

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री जेताराम विश्नोई।
2. अप्रार्थी की ओर से राजपैरोकार तहसीलदार चितलवाना।

निर्णय

दिनांक 13/12/2023

1. प्रार्थीया परमेश्वरी देवी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'ए' के तहत एक प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम शेराणियों की ढाणी पटवार हल्का सिवाड़ा के खेत खसरा संख्या 2537 / 1673 रकबा 0.0300 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि आयी हुई है। प्रार्थीया के कब्जा काश्त की भूमि मे आने—जाने एवं कृषि कार्य करने हेतु कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीया के खेत मे आने—जाने हेतु अप्रार्थी सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार के खसरा संख्या 182 / 1672 रकबा 0.07 हैक्टर किस्म किस्म सिवायचक मे से 9 मीटर चौड़ा व 77 मीटर लम्बाई का रास्ता सबसे निकटतम एंव सुविधाजनक रूट का है। इस प्रकार कुल 9 मीटर चौड़ा एवं 77 मीटर लम्बाई का रास्ता है, जो सरकारी खाते मे सिवायचक के रूप मे दर्ज है। उक्त रास्ता मौके पर चालु है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया की आत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए उपरोक्त भूमि मे से अपनी आराजी पर जाने के लिए नवीन रास्ता कायम कर प्रदान किया जावे। इस हतु प्रार्थीया नियमानुसार भुगतान करने को तैयार है।
2. अप्रार्थी राजपैरोकार ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थीया द्वारा अपने खातेदारी खसरा संख्या 2537 / 1673 रकबा 0.0300 हैक्टर भूमि मे जाने हेतु रास्ता चाहा गया है जो सरकारी भूमि खसरा संख्या 182 / 1672 रकबा 0.07 हैक्टर किस्म सिवायचक मे से 9 मीटर चौड़ा तथा 77 मीटर लम्बा रास्ता की मांग के सम्बन्ध मे मौके पर [illegible] कोई रास्ता उपलब्ध नही है। उक्त खसरा मे आने—जाने हेतु निकटतम रास्ता पड़ोसी खसरा संख्या 182 / 1672 रकबा 0.07 हैक्टर मे से उपलब्ध करवाया जा सकता है। जो सिवाय चक भूमि है। सिवायचक भूमि मौके पर खाली पड़ी है। जो एकमात्र संभावित रास्ता है जो प्रार्थीया को उपलब्ध करवाया जा सकता है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप'6) के परिपत्र कमांक प. 03 (52) राज—612 / 14 दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

14.06.2013 द्वारा प्रावधान के अनुसार खातेदार के खेत एवं कटाण रास्ता के बिच मे सरकारी भूमि आने पर डी.एल.सी दर के दुगुनी राशि देकर अपना रास्ता प्राप्त करने का प्रावधान है।

3. उभयपक्ष की सहमति से इस बारे मे मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट सम्बधित तहसीलदार से तलब की गयी। तहसीलदार चितलवाना ने उभयपक्ष की उपस्थिति मे मौके की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जिसे शामिल फाईल किया गया।

4. सरपंच ग्राम पंचायत सिवाड़ा द्वारा खेत खसरा संख्या 182/1672 रकबा 0.07 हैक्टर मे अपना हित बताते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर हितबद्व पक्षकार होने का दावा कर अप्रार्थी पक्षकार के रूप मे संयोजित करने का निवेदन किया। जबकि खेत खसरा संख्या 182/1672 रकबा 0.07 हैक्टर भूमि बारानी दोयम जो राजस्थान सरकार के खाते मे दर्ज है, जो जमाबंदी सम्वत् 2071–74 के खाता संख्या 1 से स्पष्ट है। तथा इसी न्यायालय द्वारा 07.07.2023 को भी सरपंच ग्राम पंचायत सिवाड़ा द्वारा पक्षकार संयोजित बाबत प्रार्थना पत्र खारीज किया। उक्त आराजी कृषि भूमि व राजस्थान सरकार के खाते मे दर्ज होने से सरपंच ग्राम पंचायत सिवाड़ा का कोई हित निहित नही होने से उनके द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. अस्वीकार कर खारिज किया गया।

5. प्रार्थीया के अधिवक्ता की बहस का श्रवण किया गया।

6. योग्य अधिवक्ता प्रार्थीया का तर्क है कि प्रार्थी के खेत मे जाने का कोई मार्ग नही है। इस कारण प्रार्थीया को काश्त करने, कृषि उपकरण लाने ले जाने आदि मे कठिनाईयो का सामना करना पड़ रह है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तावित मार्ग से ही सबसे निकटतम एवं सुविधाजनक है। उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक या निकटतम मार्ग उपलब्ध नही है।

7. मैने प्रार्थीया के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न अभिलेखो का अवलोकन किया। विवेचना निम्नानुसार है :–

8. यह निर्विवाद है कि प्रार्थीया के खेत खसरा संख्या 2537/1673 रकबा 0.0300 हैक्टर मे पहुचने हेतु वर्तमान मे सरकारी मार्ग नही है एवं प्रार्थीया को रास्ता की आवश्यकता है। प्रार्थीया द्वारा खसरा संख्या 182/1672 रकबा 0.07 हैक्टर किस्म सिवायचक मे से रास्ता चाहा है। अप्रार्थी तहसीलदार चितलवाना की भूमि खसरा संख्या 182/1672 रकबा 0.07 का हिस्सा आम रास्ता से मिलता है। यह तथ्य पत्रावली मे संलग्न नक्शे मे भी स्पष्ट होता है तहसीलदार चितलवाना की रिपोर्ट से यह जाहिर होता है कि प्रार्थीया को उसके खेत पर जाने के लिए कोई पक्का रास्ता उपलब्ध नही है। अतः यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 182/1672 स[illegible] मे सिवायचक भूमि दर्ज है तथा इस रिपोर्ट से यह [illegible] के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है। अतः निष्कर्ष समीचीन है कि प्रार्थीया के खातेदारी खसरा संख्या 2537/1673 मे कृषि कार्य ट्रेक्टर आदि उपकरण के लिए वर्तमान मे कोई मार्ग नही है। साथ ही यह भी सुस्पष्ट है कि प्रस्तावित मार्ग जो खसरा संख्या 182/1672 मे से प्रस्तावित है जिसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नही है। अतः प्रार्थीया की आत्याधिक आवश्कता है। परन्तु प्रस्तावित रास्ता 9 मीटर के बजाय अगर 5 मीटर चौड़ा रास्ता कायम किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

जावे तो भी प्रार्थीया को समस्त कृषि प्रयोजनार्थ मार्ग प्राप्त हो जायेगा। प्रार्थीया के योग्य अधिवक्ता ने इसमे सहमति व्यक्त की है। अतः प्रार्थीया को उक्त भूमि मे से होकर अपनी आराजी मे जाने के लिए उक्तानुसार रास्ता प्रदान करना उचित है।

9. फलतः उक्त प्रमाणित तथ्यों के परिपेक्ष्य मे प्रार्थीया को उसकी भूमि खसरा संख्या 2537/1673 मे जाने के लिए भूमि खसरा संख्या 182/1672 रकबा 0.07 हैक्टर मे से 5 मीटर चौड़ा व 77 मीटर लम्बा नवीन रास्ता कायम करने के आदेश दिया जाता है। इस प्रकार नवीन रास्ता मे प्रयुक्त भूमि की कीमत इस क्षैत्र के लिये जिला स्तरीय कमेटी (डी.एल.सी.) द्वारा निर्धारित दर से दुगुना होगी तथा इसका भुगतान प्रार्थीया द्वारा एक सप्ताह मे किया जावे। तत्पश्चात् इस भूमि को रास्ता के रूप मे राजस्व अभिलेखों मे दर्ज किया जावे तथा राजस्व नक्शा मे भी तदनुसार दर्शाया जावे। इस भूमि का रास्ता के अलावा अन्य कोई उपयोग नही किया जायेगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हनुमाना राम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

निर्णय आज दिनांक 13/12/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:32 IST
Reason: SelfAttested